न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 17/2020

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. फुटर कंवर पत्नि ढगलसिंह 2. संतोष कंवर पत्नि चान्दसिंह 3. सुमन कंवर पत्नि उम्मेदसिह जातियान राजपूत राजपूत निवासीगण गुड़ा श्यामा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. पिताम्बर दास पुत्र रतनदास जाति साद निवासी केरखेड़ा, तहसील सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. **श्री कैलाश दवें एवं श्री कुन्दनमल मालवीय अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।**
2. **तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांकः 20.10.2020**

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम केरखेड़ा पटवार हल्का हरियामाली भू0अभि0निरीक्षक गुडा कलां में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 0.8200 हैक्टर की स्थित है। जिस कृषि भूमि में प्रत्येक प्रार्थीनी का 1/3–1/3–1/3 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम गुडा श्यामा पटवार हल्का गुडा कलां भू0अभि0 निरीक्षक गुडा कलां के वर्तमान खसरा नंबर 77/1 रकबा 4.6800 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिस कृषि भूमि में प्रत्येक प्रार्थीनी का 1/3–1/3–1/3 हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त दोनो कृषि भूमियां जो ग्राम केरखेड़ा एवं गुड़ा श्यामा की है, जो दोनो एक ही सरहद पर है तथा दोनो भूमियां एक दूसरे से चिपते ही है। जो प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा से स्पष्ट है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित ग्राम केरखेडा एवं गुडा श्यामा की भूमि के पास ही अप्रार्थी सख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम केरखेडा के खसरा नम्बर 78 रकबा 0.6900 हैक्टर एवं खसरा नंबर 79 रकबा 1.1000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.7900 हैक्टर की स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 80 व 77/1 व अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 79 के मध्य प्रार्थीगण की माठ स्थित है। जिस माठ, सीमाओ एवं काश्त को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच आये दिन मन मुटाव होता रहता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 80 एवं उसके चिपते हुए खसरा नंबर 77/1 की भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को प्रार्थीगण की भूमि में खिसकाते हुए अतिक्रमण करते हुए जबरदस्ती प्रार्थीगण की भूमि में नया धोरा लगाकर भूमि हड़प करना चाहता है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण कर मौके पर सीमा व माठ को लेकर आपसी विवाद करता रहता है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी उपरोक्त ग्राम गुड़ा श्यामा के खसरा नंबर 77/1 एवं ग्राम केर खेड़ा के खसरा नंबर 80 का सीमा ज्ञान करने का आवेदन तहसीलदार, सोजत के समक्ष दिनांक 10.10.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार, सोजत के आदेशानुसार सम्बन्धित पटवार हल्का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

हरियामाली एवं गुड़ा कलां की उपस्थिति में दिनांक 15.10.2019 को मौके पर सीमा ज्ञान किया गया। जिसकी मौका फर्द रिपोर्ट उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। तहसीलदार, सोजत के सीमाज्ञान के आदेश के पश्चात मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.10.2019 के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में मौके पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में नाजायज अतिक्रमण करने की कुचैष्टा कर रहा है। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। जिस कारण उपरोक्त कृषि भूमि की मौके पर कृषि भूमि की सीमा एवं धोराओ को लेकर भारी विवाद उत्पन्न हो रहे है। जिस कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर मन मुटाव होने लगा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर माफिक सीमा ज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाने से साफ इंकार धमकिया दे रहा है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण की नियत रखता हैं तथा उक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 79 के चिपते ही सरकारी सिवाय चक भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है इसी नियत से प्रार्थीगण की भूमियो पर भी अतिक्रमण कर हड़प करना चाहता है। जिससे उक्त कृषि भूमि ग्राम केरखेड़ा के खसरा संख्या 80 एवं ग्राम गुडा श्यामा के खसरा नंबर 77/1 व अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ग्राम केरखेडा के खसरा संख्या 78 व 79 का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवा कर मौके पर मुटाम लगवाना चाहते है इसलिए उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का पत्थरगढी के जरिए सीमांकन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि मौके पर पत्थरगढी नहीं किये जाने के अभाव में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को तहसीलदार सोजत के आदेश से सीमाज्ञान होने के बावजूद भी मौके पर पत्थरगढी हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिससे यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम केरखेडा पटवार हल्का हरियामाली एवं गुडा श्यामा पटवार हल्का गुडा कलां में स्थित होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थीगण की उपरोक्त ग्राम केरखेड़ा के खसरा नंबर 80 एवं गुडा श्याामा के खसरा नंबर 77/1 दोनो एक ही सरहद पर चिपते है जिन दोनो भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है इसलिए दोनो भूमियों की संयुक्त पत्थरगढी के सम्बन्ध में उक्त प्रा0 पत्र पेश किया जा रहा है। इस प्रकार अधिवक्तागण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने, सरहद मौजा केरखेड़ा के खसरा नंबर 80 रकबा 0.8200 हैक्टर एवं ग्राम गुड़ा श्यामा खसरा नंबर 77/1 रकवा 4.6800 हैक्टर की कृषि भूमि का सीमांकन करवाये जाने मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 14.08.2020 को रजिस्टर्ड एडी0 जारी नोटिस भेजे जाने की रसीद दिनांक 14.08.2020 को नोटिस पर चस्पा सुदा प्रस्तुत की गई, सा0मि0 है अथवा मूल लिफाफा नहीं लौटा है जिसे सम्यक प्रावधानानुरूप तामिल माना जात है । बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 20.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित को लगातार अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश करने में विफल रहने से जवाब बन्द किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रा0 अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण की मौजा केरखेडा, प0ह0 हरियामाली, तह0 सोजत में स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 80

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

रकबा 0.8200 हैक्टर बा0अ0 एवं मौजा गुड़ा श्यामा, प0ह0 गुड़ा कलां में स्थित कृषि भूमि ख0न0 77/1 रकबा 4.6800 हैक्टर चा0सो0ज0दो0 बजड़ भूमि का मौके पर नापचौंप/सीमांकन करवाकर (मुटाम लगवाये जाने एवं पत्थरगढी किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी सख्या 2 को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी तथा अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर मुटाम लगवाये जाकर आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद पत्थरगढी करवाए जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा केरखेडा पटवार हल्का हरियामाली तहसील–सोजत में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 80 रकबा 0.8200 हैक्टर एवं ग्राम गुड़ा श्यामा पटवार हल्का गुड़ा कलां में स्थित खसरा नंबर 77/1 रकबा 4.6800 हैक्टर का तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी संबन्धित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमांकन किया जाकर मुटाम लगवाये जावें तथा मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना प्रस्तुत करें। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner